

## चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 142 का उपयोग

### प्रलिस के लयि:

[भारत का सर्वोच्च न्यायालय](#), [अनुच्छेद 142](#), [न्यायकि सकरयिता](#), [मौलकि अधकिार](#), [न्यायकि अतरिक](#)

### मेन्स के लयि:

अनुच्छेद 142 का महत्त्व, भारत में न्यायकि सकरयिता की वैधता

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

### चर्चा में क्यौं?

हाल ही में चंडीगढ़ मेयर चुनाव के परणाम जारी कयि गए तथा [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने संवधान के [अनुच्छेद 142](#) को कारयान्वति करते हुए चुनाव के परणाम रद कर दयि जसिके परणामस्वरूप यह चर्चा का वषिय बन गया ।

### सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का उपयोग क्यौं कयिा?

- सर्वोच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में न्याय सुनश्चिति करने और [नरिवाचन प्रक्रयिा](#) की पवतिरता बनाए रखने के लयि अनुच्छेद 142 कारयान्वति कयिा ।
  - पीठासीन अधकिारी के अवैध आचरण के परणामस्वरूप नरिवाचन प्रक्रयिा में अनयिमतिताएँ हुई जसिमें अधकिारी ने प्रतदिवंदवी के पक्ष में प्राप्त आठ मतों को अमान्य कर वजिता की घोषणा की जसिके कारण गलत वजिता की घोषणा हुई ।

### भारतीय संवधान का अनुच्छेद 142 क्या है?

- सर्वोच्च न्यायालय को सशक्त बनाना:
  - अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबति कसिी मामले अथवा वाद में **पूरण न्याय** करने के लयि आवश्यक कोई भी डकिरी अथवा आदेश पारति करने का अधकिार देता है ।
    - ये डकिरी अथवा आदेश न्यायकि हस्तक्षेप के लयि महत्त्वपूरण साधन हैं क्यौंकि इन्हें भारत के संपूरण राज्य क्षेत्र में कारयान्वति कयिा जा सकता है ।
- वधकि सीमाओं से अतरिकित शक्ति:
  - अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को इसमें शामिल सभी पक्षों के लयि न्याय सुनश्चिति करने के लयि मौजूदा वधियों अथवा वधि के दायरे से परे जाकर न्यायकि हस्तक्षेप करने का प्रावधान करता है ।
    - यह न्यायालय को आवश्यकता पड़ने पर कारयकारी और वधियी भूमकिाओं सहति नरिणय से परे कार्य करने में सक्षम बनाता है ।
  - कई अन्य कानून जैसे कि [अनुच्छेद 32](#) (जो **संवधानकि उपचारों के अधकिार की गारंटी** देता है), [अनुच्छेद 141](#) (जसिके लयि सभी भारतीय न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय के नरिणयों का पालन करना आवश्यक है) तथा अनुच्छेद 136 (जो वशिष अनुमति याचकिा की अनुमति देता है), अनुच्छेद 142 को समर्थन प्रदान करते हैं ।
    - इस सामूहकि ढाँचे को **"न्यायकि सकरयिता"** शब्द से जाना जाता है । इस वचिार के परणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय ने **"पूरण न्याय"** प्रदान करने के लयि प्रायः संसदीय कानूनों को खारजि कर दयिा है ।
- सार्वजनकि हति के मामलों में हस्तक्षेप करना:
  - यह प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय को सार्वजनकि हति, मानवाधकिार, संवधानकि मूल्यों अथवा [मौलकि अधकिारों](#) से जुड़े मामलों में **हस्तक्षेप** करने का अधकिार देता है ।
  - यह संवधान के संरक्षक के रूप में न्यायालय की भूमकिा को सुदृढ़ करता है और साथ ही उल्लंघनों के वरिद्ध सुरक्षा सुनश्चिति करता है ।
- अनुच्छेद 142 के अंतरगत शक्तियों के दायरे को स्पष्ट करने वाले नरिणय:
  - यूनयिन कार्बाइड कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ (1991):

- सर्वोच्च न्यायालय ने UCC को भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिये मुआवज़े में 470 मिलियन अमरीकी डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया, अनुच्छेद 142 (1) के व्यापक दायरे पर प्रकाश डाला और स्पष्ट किया कि इसकी शक्तियाँ एक भिन्न गुणवत्ता तथा वैधानिक नषिधों के अधीन नहीं हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1998):
  - शीर्ष न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियाँ पूरक हैं और इसका उपयोग मूल कानूनों को समाप्त करने के लिये नहीं किया जाना चाहिये।
    - न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये शक्तियाँ उपचारात्मक प्रकृति की हैं और इनका उपयोग वादियों के अधिकारों की अनदेखी करने अथवा वैधानिक प्रावधानों को दरकिनार करने के लिये नहीं किया जाना चाहिये।
- ए जदिरनाथ बनाम जुबली हलिस को-ऑप हाउस बिल्डिंग सोसाइटी (2006):
  - सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्त का प्रयोग करते समय, किसी ऐसे व्यक्ति पर कोई अन्याय नहीं किया जाना चाहिये जो मामले में पक्षकार नहीं है।
- कर्नाटक सरकार बनाम उमादेवी (2006):
  - सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 142 के तहत "पूरण न्याय" का अर्थ कानून के अनुसार न्याय है, न कि सहानुभूति, एवं न्यायालय ऐसी राहत नहीं देगी जो वधायी क्षेत्र में अवैधता का अतिक्रमण करती हो।

■ आलोचना:

- शक्तियों के पृथक्करण का अतिक्रमण करने का जोखिम, न्यायिक सक्रियता की आलोचना को आमंत्रित करना।
- आलोचकों का तर्क है कि अनुच्छेद 142 न्यायपालिका को पर्याप्त जवाबदेही के बिना व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है, जिससे संभावित रूप से न्यायिक अतिक्रमण हो सकता है। हालाँकि ये शक्तियाँ असाधारण मामलों के लिये आरक्षित हैं जहाँ मौजूदा कानून अपर्याप्त हैं।
- न्यायालय के प्राधिकार की सीमा और वधायी या कार्यकारी डोमेन में उसके हस्तक्षेप पर विवादों की संभावना होती है।

न्यायिक सक्रियता	न्यायिक अतिक्रमण
देश की कानूनी तथा संवैधानिक व्यवस्था को संरक्षित करने एवं नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखने में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका के रूप में परभाषित किया गया है।	जब न्यायपालिका अपने कानूनी प्राधिकार या अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर वधायी या कार्यकारी कार्यों में हस्तक्षेप करती है।
यह सुनिश्चित करता है कि कानून संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करते हैं।	लोकतंत्र में यह अवांछनीय है क्योंकि यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के साथ-साथ कमज़ोर समूहों की सुरक्षा करता है।	लोकतंत्र को कमज़ोर कर सकता है।
वशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर न्यायिक सक्रियता की वैधता पर प्रयास: बहस होती है।	सामान्य रूप से इसे गैरकानूनी एवं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिये हानिकारक माना जाता है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य वधियों में अंतर्विष्ट प्रतषिध अथवा नषिधन अथवा उपबंध, अनुच्छेद 142 के अधीन सांविधानिक शक्तियों पर प्रतषिध अथवा नषिधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। नमिनलखिति में से कौन-सा एक इसका अर्थ हो सकता है? (2019)

- भारत के नषिवाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का नषिवहन करते समय लयि गए नषियों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा नषिमति वधियों से बाध्य नहीं होता।
- देश में गंभीर वत्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वत्तीय आपात घोषति कर सकता है।
- कुछ मामलों में राज्य वधिनमंडल, संघ वधिनमंडल की सहमति के बिना वधि नषिमति नहीं कर सकते।

उत्तर: b